PUBLIC GRIEVANCES COMMISSION

No. F.4/14/94-AR   Dated: the 25th Sept., 1997

RESOLUTION

After a careful consideration of the need for providing a comprehensive mechanism for effective redressal of grievances of the public against the departments of the Government of National Capital Territory of Delhi (here-in-after referred to as "the Government of NCT of Delhi"), **Delhi Police* and local bodies, autonomous organizations / undertakings and other institutions owned or substantially financed by the Government of NCT of Delhi, the Government of NCT of Delhi, with the prior approval of the Central Government conveyed vide Ministry of Home Affairs D.O. letter No.14011/40/95-Delhi-II dated the 26th June, 1997, have decided to set up a "Public Grievances Commission" in the National Capital Territory of Delhi to act as a functionally independent body responsible for speedy redressal of complaints of the public against acts of omission or commission on the part of public officials working in the said organizations and to recommend such action as considered necessary for removal of such grievances. The Commission shall, for the present, be attached to the Department of Administrative Reforms, Government of NCT of Delhi, but in the exercise of its powers and functions it will have the same measure of independence and autonomy as the Union Public Service Commission. The functions of the Commission shall be advisory in the same sense as those of the Union Public Service Commission.

2. The composition of the Commission, its powers and functions and the broad framework in which it shall function will be as follows: -

A. COMPOSITION

(i) The Commission shall consist of a Chairman and three Members (including two part-time Members) who shall be appointed by the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

(ii) ** The Chairman of the Commission shall be a person who has, in the opinion of the Government of NCT of Delhi, distinguished himself in the field of public administration and was holding prior to his appointment in the Commission, a post in the rank of Secretary to the Government of India.*

The Whole time member shall be a person who has been a Director General of Police of a State or has held an office of comparative status and responsibility. The two part-time Members shall be persons of public eminence having special knowledge or practical experience in the field of education or science or law or literature or social service or human rights. Of these two part-time members, at least, one shall be a lady.

(iii) ** The Chairman and the Members (including part-time members) shall hold office at the pleasure of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier.*

(iv) ** The Chairman and Members (including part-time members) may resign their office by giving notice in writing to the Lt. Governor of NCT of Delhi and upon such resignation having been accepted, they shall be deemed to have vacated their office.*

(v) The Chairman shall be paid a fixed salary of Rs.8,000/- per month together with such allowances as admissible from time to time, provided further that if the Chairman at the time of his appointment is in receipt of pension (other than disability or war pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of State, his salary, irrespective of his service in the Commission, shall be reduced by the amount of that pension. The Whole-time Member shall be paid, subject to the same conditions, a fixed salary of Rs.7,500/- per month together with such allowances as admissible from time to time. The two part-time Members shall be paid a fixed fee of Rs.7,500/- per month. The other terms and conditions of service of the Chairman and Members (including part-time Members) shall be such as are applicable to the officers of comparable status in the Government of India.

(vi) A person shall be disqualified from being appointed as Chairman or Member (including part-time Member) if he (a) is not a citizen of India; or (b) is of unsound mind and has been so declared by the competent court; or (c) is adjudged as an undischarged insolvent; or (d) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government of NCT of Delhi, involves moral turpitude.

B POWERS AND FUNCTIONS

(vii) ** The Commission shall consider, if it is satisfied that the circumstances of the case so warrant, complaints made by members of public against acts of omission or commission including cases of inaction or harassment or extortion or corruption or abuse of power and authority on the part of the officials of the departments of Government of NCT of Delhi and local bodies, autonomous organizations/undertakings and other institutions owned or substantially financed by the Government of NCT of Delhi including Delhi Police. The advisory jurisdiction of the Commission shall not, however, extend to the Delhi Development Authority."*

(viii) It shall be open to the Commission to take suo motu action in respect of any omission or commission on the part of the aforesaid public officials on the basis of information contained in media reports or received otherwise. The Commission shall also consider cases specifically referred to it by the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi or the Chief Secretary, Government of

NCT of Delhi. The Commission shall not, however, consider complaints, which are sub-judice.

(ix) A person aggrieved by any act of omission or commission on the part of the said public officials may make an application to the Commission for the redressal of his grievance giving specific details of the case supported with a duly sworn affidavit. The applicant shall make a specific declaration to the effect that to the best of his knowledge and belief the subject-matter of the complaint is not sub-judice.

(x) The Commission may conduct the hearing of the case singly or in benches consisting of the Chairman or the whole-time Member and one of the two part-time Members. The aggrieved person who has made the complaint shall himself represent the case before the Authority and will not be entitled to engage a legal practitioner for the purpose.

(xi) *"*The Commission, shall, on receipt of a complaint and if it is satisfied that it needs to be looked into, call for such records and summon such officials as considered necessary, hear them and come to a quick decision as to whether there is any dereliction on the part of the officials concerned. The Commission shall lay particular emphasis on the speedy disposal of the complaint. It shall be incumbent on the Chief Secretary of Government of NCT of Delhi, Commissioner of Police, Delhi and the Head of the Department concerned to ensure that the documents called for by the Commission are furnished to it within the time frame specified by the Commission and also to ensure that officials, if any summoned by the Commission appear before the Commission at such time and date as fixed for the purpose by the Commission.*

(xii) The Commission shall, on conclusion of the hearing of the complaint, pass an appropriate "speaking" order and in cases where it is held that the allegations made against the officials concerned are prima facie established, the Commission shall also recommend action to be taken against the erring officials. The recommendations thus made by the Commission shall be given due consideration by the appropriate administrative authority for its speedy implementation. However, where the appropriate administrative authority on the basis of the merits of the case takes a contrary view, it shall communicate to the Commission, in writing, specific reasons because of which its recommendations could not be accepted. If the Commission is not satisfied with the reasons indicated for non-implementation of its recommendations, it shall be reflected as a case of non-acceptance of Commission's recommendations in its annual report.

3. The Commission may also conduct research into systemic causes of complaints on a regular basis and provide such reports that can form the basis of bringing administrative reforms in areas needing improvements so that the administration becomes more transparent and responsive.

4. Notwithstanding the establishment of the Public Grievances Commission, the Government of National Capital Territory of Delhi will continue to endeavor to strengthen the internal grievance redressal machinery in various departments and agencies under its administrative control and ensure transparency of procedures, free flow of information to the public, etc. The Commission will, therefore, primarily consider complaints on matters relating to corruption or those beyond the control of individual agencies.

*C ANNUAL REPORT

The Commission will submit two separate annual reports – one covering Delhi Police to be submitted to the Central Government through the Lt. Governor for placing it before the Parliament and the other covering the activities pertaining to the remaining departments/organizations of the Government of NCT of Delhi to be submitted to the Government of NCT of Delhi for its being placed before the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

The annual reports will be drawing particular attention to any recommendation made by it which had not been accepted or acted upon and the Government of NCT of Delhi will submit the same with a memorandum explaining the reason for non-acceptance of any of the recommendation(s) of the Commission to Delhi Legislative Assembly/Parliament, as the case may be."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Departments of Government of NCT of Delhi, local bodies, autonomous organizations / undertakings and other institutions owned or substantially finances by the Government of NCT of Delhi, etc. and also that the Resolution be published in the Gazette of Delhi.

**Substituted vide notification No. F.4/14/94/AR dated: 30th July, 1998*

(Published in Part-IV of Delhi Gazette Extraordinary dated 25th September 1997 and dated 30th July 1998)

प्रशासन सुधार विभाग

संकल्प

दिल्ली, 25 सितम्बर, 1997

सं. एफ-4/14/94/प्र.सु.— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी शासन (इसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी शासन के रूप में संदर्भित) तथा स्थानीय निकायों, स्वायत्त संगठनों/प्रतिष्ठानों के विभागों तथा दिल्ली शासन के स्वामित्व या द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित अन्य संस्थाओं के विरुद्ध जनता की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिये एक व्यापक तंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत, दिल्ली शासन ने केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जून, 1997 के पत्र संख्या 14011/40/97-दिल्ली-2, के अनुसार सूचित पूर्व सहमति से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में एक ''जन शिकायत निवारण आयोग'' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि क्रियात्मक रूप से वह स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर सके और वह उक्त संगठनों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की ओर से किये गये भूल-चूक के कार्यों के विरुद्ध जनता की शिकायतों के तीव्रतापूर्वक निपटान के प्रति उत्तरदायी हो और इस प्रकार की शिकायतों का निवारण के लिये यथावश्यक कार्यवाही की सिफारिश करें। इस समय आयोग दिल्ली शासन के प्रशासन सुधार विभाग से संबद्ध है। लेकिन अपनी शक्तियों तथा कार्यों के प्रयोग में उसके पास संघ लोक सेवा आयोग की भांति स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता होगी। आयोग के कार्य संघ लोक सेवा आयोग की भांति परामर्श स्वरूप के हैं।

आयोग की रचना—इसकी शक्तियां तथा व्यापक कार्य ढांचा जिसके अनुसार कार्य करेगा, निम्न प्रकार से होगा—

क. संरचना

आयोग का एक अध्यक्ष होगा और तीन सदस्य होंगे (इसमें दो अंशकालिक सदस्य होंगे) जिनकी नियुक्ति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल द्वारा की जायेगी।

दिल्ली शासन के अभिमत से अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य जन प्रशासन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। दो अंशकालिक सदस्य शिक्षा या विज्ञान या विधि या साहित्य या समाज सेवा या मानव अधिकार के क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। इन दो अंशकालिक सदस्यों में से एक महिला होगी।

अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष तथा सदस्य (अंशकालिक सदस्यों सहित) का सामान्यतया दो वर्ष कार्यकाल होगा या 65 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा, जो भी इनमें से पहले हो।

अध्यक्ष अपने पद से दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखित में नोटिस देकर त्याग-पत्र दे सकेंगे और कोई अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य सहित अपना पद से त्यागपत्र अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर दे सकेंगे और दिल्ली शासन द्वारा ऐसे त्यागपत्र स्वीकार किये जाने पर या जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष या अंशकालिक सदस्य सहित सदस्य उसका पद छोड़ लिया मान लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय को समय-समय पर ग्राह्य भत्तों सहित 8000/- रुपये के नियत वेतन का भुगतान किया जायेगा। आगे शर्त यह है कि यदि अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के समय पेंशन (अपंगता या युद्ध पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहा है तो भारत सरकार के अन्तर्गत या किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी पूर्ववर्ती सेवा सम्बन्धी उसके वेतन में, आयोग में उसकी सेवा का ध्यान रखे बिना पेंशन की राशि घटायी जायेगी। पूर्णकालिक सदस्यों को शर्तों के अनुसार समय-समय पर ग्राह्य ऐसे भत्तों सहित 7500/- रुपये प्रतिमाह का नियत शुल्क भुगतान किया जायेगा। दो अंशकालिक सदस्यों को 7500/- रुपये प्रतिमाह का निर्धारित शुल्क भुगतान किया जायेगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों सहित) की अन्य शर्तें तथा सेवा शर्तें भारत सरकार में समतुल्य पद रखने वाले अधिकारियों पर लागू शर्तों के समान होगी।

कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य (अंशकालिक सदस्य सहित) के रूप में नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा यदि वह (क) भारत का नागरिक नहीं है अथवा (ख) वह अस्वस्थ मस्तिष्क है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है अथवा (ग) अनडिस्चार्जड दिवालिये के रूप में घोषित किया गया अथवा (घ) वह सिद्ध दोषी है और किसी अपराध के लिये कारावास हेतु दण्डित है जो दिल्ली शासन के अभिमत से एक अपराध है इसमें नैतिक चरित्रहीनता सम्बन्ध है।

ख. शक्तियां तथा कार्य

आयोग विचार करेगा यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे मामलों की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित है जो दिल्ली शासन तथा स्थानीय निकाय, स्वायत्त संगठन/प्रतिष्ठान और अन्य संस्थाएं, दिल्ली शासन के स्वामित्व में हैं या उसके द्वारा वित्तीय रूप से पोषित हैं, के विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की ओर से अकर्मण्यता, परेशान करना, लूट खसोट करना, भ्रष्टाचार या शक्ति या अधिकार का दुरुप्रयोग के मामलों सहित भूल या चूक कार्यों के विरुद्ध जनता की ओर से की गयी शिकायतों के कारण अपेक्षित है तथापि आयोग का परामर्शदात्री क्षेत्र दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण पर नहीं होगा।

2. आयोग स्वयं प्रचार माध्यम में उल्लिखित या से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्वोक्त कर्मचारियों की ओर से की गई कोई भूल या चूक सम्बन्धी कार्यवाही करने के प्रति स्वतंत्र होगा। आयोग उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी या मुख्यमंत्री दिल्ली शासन या मुख्य सचिव दिल्ली शासन द्वारा भेजे गये मामलों पर भी विशेष रूप से कार्यवाही करेगा। तथापि आयोग निर्णयाधीन शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

उक्त सरकारी कर्मचारियों की ओर से हुई भूल या चूक के किसी कार्य से खिन्न कोई व्यक्ति आवेदन दे सकेगा ताकि उसकी शिकायत दूर हो सके। आवेदन पत्र में विस्तृत ब्यौरा हो और पत्र लगा होगा। आवेदक इस आशय की विनिर्दिष्ट घोषणा करेगा कि उसकी जानकारी और विश्वास में शिकायत का मामला उप-न्यायिक नहीं है।

4. आयोग मामले की सुनवाई अकेले या अध्यक्ष सहित या पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्यों में से एक सहित खंड पीठों में कर सकता है। खिन्न व्यक्ति जो शिकायत करता है वह स्वयं प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा तथा इस उद्देश्य के लिये वह कोई वकील नियुक्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. आयोग शिकायत प्राप्त होने पर तथा यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि इसकी जांच आवश्यक है, तो जैसा वह उचित समझे अभिलेख मांगेगा तथा कर्मचारियों को बुलाएगा, उन्हें सुनेगा तथा तुरंत इस निर्णय पर पहुंचेगा कि क्या संबंधित कर्मचारियों की तरफ से कोई लापरवाही हुई है। आयोग शिकायत के तुरन्त निपटान पर विशेष ध्यान देगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि आयोग द्वारा मांगे गये दस्तावेज उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय में उसे प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा आयोग द्वारा निश्चित की गई तारीख और समय पर आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिये बुलाया गया व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित हो गया है; तथा

6. आयोग, शिकायत की सुनवाई के परिणामस्वरूप एक समुचित "स्पीकिंग आदेश" पारित करेगा तथा उन मामलों में, जहां ऐसा समझा गया है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो चुके हैं तो आयोग दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सिफारिश भी करेगा। आयोग द्वारा की गई ऐसी सिफारिश पर तुरंत कार्यवाही करने के लिये समुचित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पर्याप्त विचार किया जायेगा। तथापि, जहां समुचित प्रशासनिक अधिकारी मामले की मैरिट के आधार पर इसके विपरीत विचार करता है तो इसकी सूचना लिखित में विनिर्दिष्ट कारणों सहित आयोग को भेजेगा। जिसके कारण इसकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकती यदि आयोग अपनी सिफारिशों के लागू न किये जाने के कारणों से संतुष्ट नहीं है तो इसे इसकी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग की सिफारिशें अस्वीकार करने के मामले के रूप में समझा जायेगा।

3. आयोग नियमित आधार पर शिकायतों के उचित कारणों की जांच कर सकता है तथा रिपोर्ट उपलब्ध करा सकता है कि सुधार के लिये आवश्यक क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार लाने का आधार बन सकता है ताकि प्रशासन और अधिक पारदर्शी एवं जवाब देह बन सके।

4. लोक शिकायत आयोग के गठन के अन्यथा होते हुए भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन, विभिन्न विभागों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एजेंसियों में आंतरिक शिकायत निवारण को सुदृढ़ करने का प्रयास जारी रखेगी तथा जनता आदि को कार्यपद्धति की निर्बाध सूचना सुनिश्चित करेगा। इसलिये आयोग प्रारंभिक रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की शिकायतों या जो शिकायतें व्यक्तिक नियन्त्रण एजेंसियों से परे है, की शिकायतों पर विचार करेगा।

ग. वार्षिक रिपोर्ट

आयोग प्रशासनिक सुधार विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन को की गई सिफारिश पर विशेष ध्यान देते हुए अपने कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो स्वीकार नहीं की गई या जिन पर कार्यवाही नहीं की गई है तथा आयोग की किसी सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए ज्ञापन के साथ रिपोर्ट की प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

टी.टी. जोसफ, प्रधान सचिव

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

RESOLUTION

Delhi, the 25th September, 1997

No.F. 4/14/94–AR.—After a careful consideration of the need for providing a comprehensive mechanism for effective redressal of grievances of the public against the Departments of the Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as "the Government of NCT of Delhi"), and local bodies, autonomous organisations/undertakings and other institutions owned or substantially financed by the Government of NCT of Delhi, the Government of NCT of Delhi, with the prior approval of the Central Government conveyed vide Ministry of Home Affairs D.O. letter No. 14011/40.95-Delhi-11, dated the 26th June, 1997, have decided to set up a "Public Grievances Commission" in the National Capital Territory of

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

दिल्ली 30 जुलाई, 1998

अधिसूचना

सं.फा. 4/14/94-ए आर:- जबकि दिल्ली पुलिस के विरूद्ध जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, जो गृह मंत्रालय के दिनांक 23 जून, 1998 के पत्र सं0 14011/32/94-यू.टी.जी द्वारा सूचित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वार स्थापित लोक शिकायत आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का, संकलप सं0 4/14/94-एआर दिनांक 25 सितम्बर, 1997 द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि इसके कार्यक्षेत्र में दिल्ली पुलिस की जन शिकायतें शामिल की जा सकें ।

अब, इसलिए उक्त निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा अपने उपरोक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करती है जो तत्काल प्रभावी हो जायेंगे, अर्थात् :-

संशोधन

संकलप सं0 4/14/94-ए.आर.दिनांक 24 सितम्बर, 1997 में :-

1. पैराग्राफ 1 में "(जिसे इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कहा जायेगा)" वाक्य के पश्चात् तथा "तथा स्थानीय निकाय" शब्दों से पहले "दिल्ली पुलिस" शब्द जोड़े जायेंगे ।

2. पैराग्राफ 2 में :-

(क) पैराग्राफ 2 के खंड क में उप खंड (2), (3), तथा (4) में क्रमशः-- निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(ii) आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो दिल्ली सरकार की राय में लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दर्जा रखता हो तथा आयोग में अपनी नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार के सचिव के रैंक के किसी पद पर कार्य कर रहा हो ।

पूर्णकालिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी राज्य का पुलिस महानिदेशक रहा हो या समकक्ष है स्थित तथा उत्तरदायित्व के निर्वाह करने वाले पद पर कार्य करता रहा हो । दो अन्य अंशकालीन सदस्य ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जिन्हे शिक्षा या विज्ञान या विधि या साहित्य या सामाजिक सेवा या मानवाधिकारों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो । दो अंशकालीन सदस्यों में से कम से कम एक महिला होंगी ।

(iii) अध्यक्ष तथा सदस्य (अंशकालीन सदस्यों सहित) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की इच्छा, या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे ।

(iv) अध्यक्ष तथा सदस्य (अंशकालीन सदस्यों सहित) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखित सूचना देकर त्याग पत्र दे सकेंगे तथा त्याग पत्र के स्वीकृत होने पर उनका कार्यालय छोड़ देना माना जायेगा ।

(ख) खंड "ख" के उप खंड (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

1. आयोग, यदि संतुष्ट है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य है कि जनता के सदस्यों द्वारा भूल-चूक के कार्य जिनमें दिल्ली सरकार के किसी विभाग तथा स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों/उपक्रमों तथा दिल्ली सरकार द्वारा वित्त प्रदान किये जाने वाले या उसके अन्तर्गत आने वाले अन्य संस्थानों जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है के विभागों के कर्मचारियों की तरफ से अकर्मण्यता या परेशान या लूट खसोट या भ्रष्टाचार या शक्तियों या अधिकारों का दुरूपयोग हुआ है, तो वह उस पर विचार करेगा । आयोग का सलाहकार क्षेत्राधिकार दिल्ली विभाग प्राधिकरण के मामले में लागू नहीं होता है ।"

(ग) खंड "ख" के उप खंड (5) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

~~जारी......~~

(5) " आयोग , किसी शिकायत के प्राप्त होने पर यदि उचित समझता है कि इस पर विचार किया जाए तो वह रिकार्ड मंगवाएगा तथा उन कर्मचारियों को बुलाएगा जिनको बुलाया जाना आवश्यक समझा जाता है, उनकी सुनवाई करेगा तथा तुरन्त निर्णय लेगा कि संबंधित कर्मचारी की तरफ से कोई अवहेलना हुई है या नहीं । आयोग शिकायत के शीघ्र निपटान पर विशेष रूप से बल देगा । दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव तथा पुलिस आयुक्त, दिल्ली तथा संबंधित विभागाध्यक्ष इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर भेज दिए गए है तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी कर्मचारी को आयोग द्वारा बुलाया गया है तो वह निश्चित समय तथा तिथि पर आयोग के सामने उपस्थित हो ।"

(घ) "वार्षिक रिपोर्ट" शीर्षक वाले खंड "ग" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:--

<u>वार्षिक रिपोर्ट</u>

(ग) आयोग दो अलग-अलग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा - एक दिल्ली पुलिस के विषय में जिसे उपराज्यपाल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संसद के सामने रखने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा दूसरी शेष दिल्ली सरकार के विभागों/संस्थानों की गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे दिल्ली सरकार को प्रस्तुत करेगा जो दिल्ली सरकार की विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट में आयोग अपने द्वारा की गई विशेष सिफारिशों को स्वीकार करने या जिन पर कार्यवाही की गई है पर विशिष्ट ध्यान आकृष्ट करेगा तथा दिल्ली सरकार आयोग की किन्ही सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों का विवरण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, दिल्ली विधानसभा/संसद, जैसी भी स्थिति हो, को भेजेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के नाम पर तथा आदेश से

(छोटे लाल)
उप सचिव (ए.आर)